Form No. III

Qn|&vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

राधेश्याम **बनाम** **सत्यनारायण वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970**

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना–पत्र** नं0 **037** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	राजस्व प्रार्थना–पत्र बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी **दिनेश मौड** हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के मिसल संख्या 456/1969 दिनांक 29.05.1970 से किये गये आवंटन/नियमन से व्यथित होकर आवंटन/नियमन निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज योग्य पाये जाने से दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश दिया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी ने आज दिनांक 21.10.2024 को प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को एडमिशन स्तर पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलाना चाहता है, अतः प्रार्थना–पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण एडमिशन स्तर पर ही विचाराधीन है, प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होना शेष है एवं प्रार्थी स्वयं अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलना चाहता है, ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना–पत्र में कार्यवाही एडमिशन स्तर पर ही समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official **-S/d-** (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 21.10.2024	